



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052024-254058
CG-MH-E-06052024-254058

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]
No. 316]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2024/वैशाख 16, 1946
NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 16, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 6 मई, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन), विनियमावली, 2024

फा. सं. फेमा 5(आर)/(4)/2024-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (दिनांक 01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.5(आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2024 कहलाएगी।
(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली के विनियम 7 में संशोधन:

मूल विनियमावली में, विनियम 7 में, उप-विनियम 5 के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, यथा;

“6. भारत में स्थित प्राधिकृत व्यापारी 23 अक्टूबर 2020 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (डिरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को यह अनुमति दे सकता है कि वह अपने द्वारा किए गए किसी अनुमति-प्राप्त डिरिवेटिव संविदा के लिए भारत में मार्जिन राशि भेजने और उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रुपये में और/ या विदेशी मुद्रा में व्याज-अर्जक खाता खोल सके, धारण कर सके और बनाए रख सके बशर्ते वह इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करता हो।”

लता राधाकृष्णन, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./084/2024-25]

फुट नोट: मूल विनियमावली को जीएसआर सं.389 (ई), दिनांक 1 अप्रैल 2016 द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गया

09.11.2018 की जीएसआर सं.1093 (ई)

16.07.2019 की जीएसआर सं. 498 (ई)

सं.फेमा 5(आर)/(3)/2019-आरबी, दिनांक 13 नवम्बर 2019

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th May, 2024

Foreign Exchange Management (Deposit) (Fourth Amendment) Regulations, 2024

F. No. FEMA 5(R)/(4)/2024-RB.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 (Notification No. FEMA 5 (R)/2016-RB dated April 01, 2016) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- (i) These regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Fourth Amendment) Regulations, 2024.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations:

In the Principal Regulations, in Regulation 7, after sub-regulation 5, the following new sub-regulation shall be inserted, namely:-

“6) An authorised dealer in India may allow a person resident outside India to open, hold and maintain an interest-bearing account in Indian Rupees and / or foreign currency for the purpose of posting and collecting margin in India, for a permitted derivative contract entered into by such person in terms of Foreign Exchange Management (Margin for Derivative Contracts) Regulations, 2020, dated October 23, 2020, as amended from time to time, subject to directions issued by the Reserve Bank in this regard.”

LATHA RADHAKRISHNAN, General Manager (Officer-in-Charge)

[ADVT.-III/4/Exty./084/2024-25]

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 389(E) dated April 01, 2016 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide

G.S.R.1093 (E) dated 09.11.2018

G.S.R. 498 (E) dated 16.07.2019

No. FEMA 5(R)/(3)/2019-RB dated November 13, 2019